# दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम - 2016 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा में उपलब्ध सुविधाओं के प्रति शिक्षकों का अभिमत

डॉ. अख्तर बानो[1], सुल्तान[2]
*[1] सहायक आचार्य, विद्या भवन गोविन्दराम सेकसरिया शिक्षक महाविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)*
*[2] शिक्षा संकाय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)*

**'सारांश'-वर्तमान शोध का उद्देश्य दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा हेतु उपलब्ध सुविधाओं के प्रति शिक्षकों के अभिमत का अध्ययन करना है। इस शोध में कुल 60 राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रतिदर्श (Sample) के रूप में शामिल किया गया है। अध्ययन का स्वरूप वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति (Descriptive Survey Method) पर आधारित है। आंकड़ों के आंकलन के लिए शिक्षक - अभिमतावली (Teacher Opinionnaire) एवं अवलोकन प्रपत्र (Observation Schedule) का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकड़ों को प्रतिशत विश्लेषण (Percentage Analysis) कर परिणामों को तालिकाओं व चार्ट्स के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शोध के प्रमुख निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ है कि विद्यालयों में समावेशी शिक्षा हेतु सुविधाओं की उपलब्धता आंशिक है। जहाँ 51% शिक्षकों ने रैंप की सुविधा को स्वीकार किया, वही केवल 20% ने रैंप के साथ रेलिंग और मात्र 8.3% ने सुगम्य प्रसाधन तथा सहायक उपकरणों की उपलब्धता की पुष्टि की। इसी प्रकार शिक्षण अधिगम सामग्री भी केवल 22.5% विद्यालयों में उपलब्ध पायी गयी। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि भौतिक अवसंरचना और शिक्षण संसाधनों की दृष्टि से विद्यालय अभी भी समावेशी शिक्षा को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में सक्षम नहीं है।**

**प्रमुख शब्द (Key Words) - समावेशी शिक्षा, शिक्षकों का अभिमत, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (2016), उपलब्ध सुविधाएँ, बाधामुक्त वातावरण, शिक्षण अधिगम सामग्री, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी।**

## प्रस्तावना

शिक्षा को सामाजिक न्याय, समानता और व्यक्तित्व विकास का प्रमुख साधन माना जाता है। प्रत्येक बच्चा चाहे वह सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाला, उसे शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) की अवधारणा सामने आई, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि दिव्यांग और सामान्य विद्यार्थी एक ही वातावरण में शिक्षा ग्रहण करें तथा समाज में समान अवसर पा सकें। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC 1989), तथा सार्वजनिक घोषणा-पत्र "Education For All" (UNESCO, 1990) ने शिक्षा को सभी के लिए समान रूप से सुलभ बनाने पर जोर दिया। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009) और उसके बाद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPWD Act, 2016) लागू किया गया, जिसने दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा का समान अवसर दिलाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया।

RPWD Act - 2016 की धारा 16 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक विद्यालय दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण, सहायक उपकरण, विशेष शिक्षक, उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएँ। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या वास्तव में विद्यालय स्तर पर ये सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है? कई शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि समावेशी शिक्षा का व्यावहारिक स्वरूप अभी भी अधूरा है। Sharma & Deppeler (2005) के अनुसार, विद्यालयों में शिक्षण संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी बाधा है। वहीं Mittal (2019) का मत है कि शिक्षकों की मानसिकता और उनका दृष्टिकोण विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है।

## साहित्य पुनरावलोकन -

समावेशी शिक्षा पर कई शोध कार्य यह दर्शाते है कि नीतिगत स्तर पर प्रगति होने के बावजूद विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों का अभाव है।

- Sharma & Singh (2014) ने अपने अध्ययन में पाया कि प्राथमिक विद्यालयों में अधिकांश शिक्षक समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच रखते है, परन्तु

सहायक उपकरणों और अनुकूलित शिक्षण सामग्री की कमी के कारण वे प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाते।

- Johnson (2016) ने अपने शोध में उल्लेख किया कि RPWD Act 2016 लागू होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में सुगम्य प्रसाधन और बाधा मुक्त वातावरण जैसी सुविधाओं का अभाव है उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम नियमों को विद्यालय स्तर पर लागू करने में प्रशासनिक और आर्थिक अड़चनें सबसे बड़ी बाधा है।
- Khan (2018) ने अपने अध्ययन में शिक्षकों के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षक समावेशी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते है किन्तु प्रशिक्षण की कमी और संसाधनों के अभाव के कारण वे दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहते है।
- Gupta (2019) ने दिल्ली के सरकारी विद्यालयों पर किये गए अध्ययन में पाया कि 60% विद्यालयों में रैंप की व्यवस्था तो थी, लेकिन उनमें रेलिंग और अन्य सहायक व्यवस्थाएं नहीं थीं, इससे यह स्पष्ट हुआ कि सुविधाएँ अधूरी थी और उनका उपयोग दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक रूप से कठिन था।
- UNESCO (2020) की Global Education Monitoring Report ने भी यह स्पष्ट किया कि दक्षिण एशियाई देशों में, विशेषकर भारत में, समावेशी शिक्षा की नीति तो प्रभावी है लेकिन उसकी सफलता विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षकों के प्रशिक्षण और अभिभावकों की सहभागिता पर निर्भर करती है।
- Verma and Kumari (2021) ने अपने शोध में उल्लेख किया कि शिक्षक मानते है कि समावेशी शिक्षा बच्चों के सामाजिक और शैक्षणिक विकास में सहायक है, परन्तु उन्होंने यहाँ भी पाया कि केवल 25% विद्यालयों में ही दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण -अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
- NCERT (2018) की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के केवल 36% विद्यालयों में ही दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है, विशेष रूप से रैंप और रेलिंग जैसी भौतिक सुविधाओं का स्तर बहुत सीमित पाया गया।
- Kumar (2020) ने अपने शोध में पाया कि शहरी विद्यालयों में आंशिक रूप से संसाधन उपलब्ध है, किन्तु ग्रामीण विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए न तो पर्याप्त उपकरण है और न ही विशेष शिक्षक।
- Lindsay (2022) ने अपने अध्ययन में कहा कि समावेशी शिक्षा के लिए केवल अवसंरचना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षक व अभिभावक और समुदाय का सहयोग भी आवश्यक है।

शोध की आवश्यकता -

- समाज में अब भी यह धारणा मौजूद है कि दिव्यांग बच्चों को अलग से पढ़ाया जाए, जबकि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, ऐसे में शिक्षकों का अभिमत जानना आवश्यक है।
- RPWD Act-2016 के अंतर्गत विद्यालयों में रैंप रेलिंग, सुगम्य शौचालय, सहायक उपकरण तथा शिक्षण - अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य है, परन्तु वास्तविकता में इन सुविधाओं की स्थिति का आंकलन करना आवश्यक है।
- शिक्षकों का दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा की सफलता की कुंजी है। यदि शिक्षक इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करते है तभी अधिनियम का सही क्रियान्वयन संभव है।
- पूर्व शोधों से पता चलता है कि विद्यालयों में भौतिक अवसंरचना और संसाधन अपर्याप्त है। इस शोध से यह ज्ञात होगा कि शिक्षक स्वयं अपने विद्यालयों में सुविधाओं की कमी किस प्रकार अनुभव करते है।
- शिक्षक तभी प्रभावी रूप से समावेशन कर पायेंगे जब उन्हें पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध होगा, यह अध्ययन शिक्षकों की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- यह अध्ययन न केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य को उजागर करता है बल्कि भविष्य में अभिभावकों, प्रशासकों और विद्यार्थियों के दृष्टिकोण पर होने वाले शोधों के लिए भी आधार प्रदान करता है।

शोध प्रश्न -

1. विद्यालयों में RPWD Act -2016 के अंतर्गत उपलब्ध भौतिक अवसंरचना एवं सहायक संसाधनों की वास्तविक स्थिति क्या है?
2. शिक्षकों के अनुसार समावेशी शिक्षा में कौन – कौन सी चुनौतियाँ सामने आती है?
3. शिक्षकों ने समावेशी शिक्षा की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु किन सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया है?

शोध के उद्देश्य -

1. विद्यालयों में RPWD Act -2016 के अनुरूप समावेशी शिक्षा हेतु भौतिक अवसंरचना एवं सहायक शिक्षण

संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति का मूल्यांकन करना।

2. समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में शिक्षकों के अभिमत , अनुभव की गई चुनौतियों तथा सुधार हेतु दिए गए सुझावों का विश्लेषण करना।

शोध पद्धति-

- शोध का स्वरूप : यह अध्ययन वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति पर आधारित है।
- जनसंख्या : इस शोध की जनसंख्या 60 राजकीय प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को शामिल किया गया है।
- प्रतिदर्श : इस शोध में 120 शिक्षकों (प्राथमिक स्तर के) को शामिल किया गया है।
- प्रतिदर्श चयन पद्धति : इस शोध में सरल यादृच्छिक पद्धति द्वारा प्रतिदर्श का चयन किया गया है ताकि प्रत्येक शिक्षक को समान अवसर मिल सके।

शोध उपकरण

- शिक्षक अभिमतावली (Teacher Opinionnaire) - जिसमें समावेशी शिक्षा हेतु उपलब्ध सुविधाओं, बाधाओं और शिक्षण संसाधनों पर आधारित प्रश्न थे।
- अवलोकन प्रपत्र (Observation Schedule) - जिसके माध्यम से विद्यालयों की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया।

आंकड़ों का संकलन : आंकड़ा प्रश्नावली एवं अवलोकन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संकलित किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण : संकलित आंकड़ों का प्रतिशत विश्लेषण किया गया और परिणामों को तालिकाओं और चार्ट्स के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण -

1- उद्देश्य: विद्यालयों में RPWD Act 2016 के अनुरूप सुविधाओं एवं संसाधनों की उपलब्धता।

तालिका संख्या – 1 विद्यालयों में सुविधाएँ एवं सहायक संसाधन

| सुविधा / संसाधन | उपलब्ध (%) | अनुपलब्ध (%) |
|---|---|---|
| रैंप | 51% | 49% |
| रेलिंग सहित रैंप | 20% | 80% |
| सुगम्य प्रसाधन | 8.3% | 91.7% |
| विशेष कक्ष | 12% | 88% |
| बाधा मुक्त प्रवेश | 51% | 49% |
| खेलकूद मैदान | 35% | 65% |
| श्रवण यंत्र | 10% | 90% |
| ब्रेल पुस्तकें | 6% | 94% |
| विशेष TLM | 22.5% | 77.5% |
| ICT उपकरण | 15% | 85% |

चार्ट संख्या -1

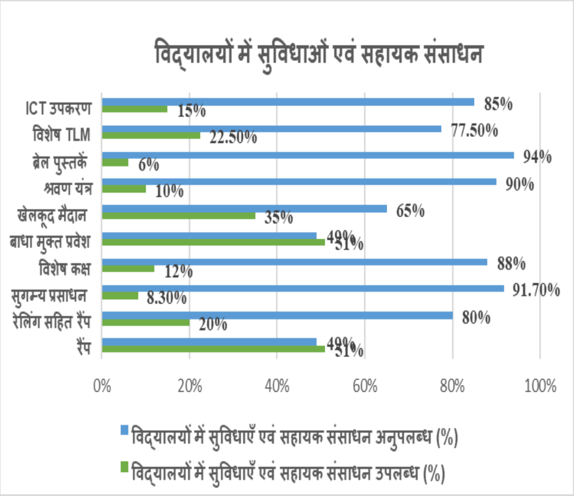


व्याख्या :

तालिका और चार्ट से स्पष्ट है कि विद्यालयों में समावेशी शिक्षा हेतु RPWD Act -2016 के अनुसार आवश्यक सुविधाएँ आंशिक रूप से उपलब्ध है।

- रैंप (51%) जैसी प्राथमिक सुविधा तो कुछ हद तक है, लेकिन रेलिंग (20%) और सुगम्य प्रसाधन (8.3%) अत्यंत सीमित है।
- सहायक उपकरणों की स्थिति भी चिंताजनक है, श्रवण यंत्र (10%), ब्रेल पुस्तकें (6%), ICT उपकरण (15%) और विशेष TLM (22.5) ही उपलब्ध है।

❖ अतः यह स्थिति दर्शाती है कि विद्यालयों में संसाधन अभी बहुत अधूरे है और दिव्यांग बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है।

2- उद्देश्य: समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों का अभिमत – चुनौतियाँ और सुझाव।

तालिका संख्या -2

शिक्षकों द्वारा अनुभव की गई चुनौतियाँ

| चुनौतियाँ | शिक्षक प्रतिशत |
|---|---|
| संसाधनों की कमी | 65% |
| प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव | 52% |
| विशेष TLM का अभाव | 55% |
| बड़ी कक्षा का आकार | 48% |
| प्रशासनिक सहयोग की कमी | 40% |

चार्ट संख्या -2

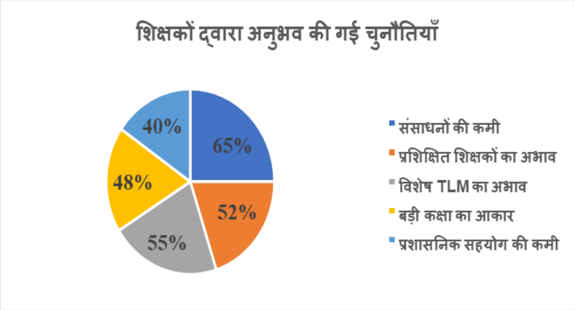


व्याख्या :

शिक्षकों के अनुसार संसाधनों की कमी (65%) सबसे बड़ी समस्या है, विशेष TLM का अभाव (55%) और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी (52%) भी गंभीर बाधाएँ है, उनका मत है कि बड़ी कक्षा का आकार (48%) और प्रशासनिक सहयोग का अभाव (40%) समावेशी शिक्षा को कठिन बना देते है।

❖ आंकड़े यह दर्शाते है कि नीति स्तर पर प्रावधान होने के बावजूद , विद्यालयों में व्यावहारिक चुनौतियाँ अधिक गंभीर है।

तालिका संख्या – 2.1

शिक्षकों के सुझाव

| सुझाव | सहमत शिक्षक(%) |
|---|---|
| निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा | 72% |
| शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप | 62% |
| छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन | 58% |
| शिक्षक प्रशिक्षण | 66% |
| अभिभावक व समुदाय की भागीदारी | 54% |

चार्ट संख्या -2.1

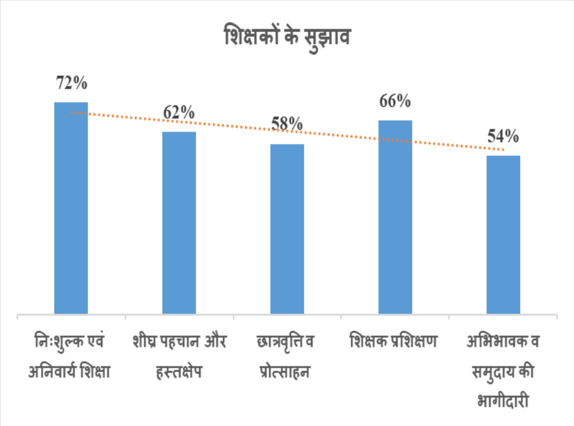


व्याख्या:

शिक्षकों ने समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए-

- निः शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (72%) और शिक्षक प्रशिक्षण (66%) सबसे प्रमुख माने गए।
- शीघ्र पहचान व हस्तक्षेप (62%), छात्रवृत्ति (58%) और अभिभावक - समुदाय की भागीदारी (54%) भी आवश्यक बताए गए।

❖ इसका अर्थ यह है कि केवल भौतिक संसाधनों से ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक सहयोग, शिक्षक क्षमता निर्माण और सामुदायिक सहभागिता से ही समावेशी शिक्षा सफल हो सकती है।

परिणाम व चर्चा : -

इस शोध में प्राप्त परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि विद्यालयों में समावेशी शिक्षा हेतु RPWD Act 2016 के प्रावधानों के अनुरूप सुविधाएँ अभी आंशिक रूप से ही उपलब्ध है। शिक्षकों का अभिमत यह दर्शाता है कि अधिकांश विद्यालयों में केवल रैंप जैसी प्राथमिक सुविधा आंशिक रूप से मौजूद है, जबकि रेलिंग, सुगम्य प्रसाधन और विशेष कक्ष जैसी अन्य सुविधाएँ अत्यंत सीमित है। यह निष्कर्ष Gupta (2019) के अध्ययन से मेल खाता है, जिसमें कहा गया था कि अधिकांश विद्यालयों में भौतिक अवसंरचना अधूरी है।

सहायक उपकरण एवं शिक्षण - अधिगम सामग्री की उपलब्धता के सन्दर्भ में भी शिक्षकों ने गंभीर कमी की ओर संकेत किया है। केवल 22.5% विद्यालयों में विशेष TLM उपलब्ध है और श्रवण यंत्र या ब्रेल पुस्तकें बहुत ही सीमित स्तर पर मिलती है। यह स्थिति NCERT (2018) की रिपोर्ट से मेल खाती है, जिसमें कहा गया था कि अधिकांश विद्यालयों में सहायक उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए।

शिक्षकों ने समावेशी शिक्षा में प्रमुख बाधाओं के रूप में संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव और बड़ी कक्षा आकार जैसी चुनौतियों को उजागर किया। ये निष्कर्ष Mishra (2020) के अध्ययन से संगत है, जिसमें पाया गया था कि समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव और संसाधनों की कमी है। इन चुनौतियों के बावजूद, शिक्षकों का मानना है कि समावेशी शिक्षा बच्चों के सामाजिक विकास, आत्मविश्वास, और समान अवसर की भावना को बढ़ावा देती है। यह परिणाम Singh (2021) के शोध से मेल खाता है, जिसमें बताया गया कि समावेशी शिक्षा से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में आत्मविश्वास और

समायोजन क्षमता विकसित होती है। शोध में यह भी समाने आया कि शिक्षकों ने समावेशी शिक्षा की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शीघ्र पहचान, छात्रवृत्ति, शिक्षक प्रशिक्षण और अभिभावक एवं समुदाय की भागीदारी को आवश्यक बताया। विशेष रूप से शिक्षक प्रशिक्षण और समुदाय की भागीदारी की आवश्यकता अन्य शोधों (Sharma 2017, UNESCO 2020) में भी रेखांकित की गई है।

इस प्रकार, वर्तमान अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि यद्यपि समावेशी शिक्षा की अवधारणा शिक्षकों द्वारा स्वीकार की जा रही है और वे इसके लाभ को मान्यता देते है, परन्तु विद्यालयों में सुविधाओं और संसाधनों की कमी इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रही है । अत: नीतिगत स्तर पर ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है ताकि RPWD Act 2016 की भावना के अनुरूप विद्यालय वास्तव में समावेशी वातावरण उपलब्ध करा सकें।

सुझाव व शैक्षिक निहितार्थ -

❖ सुझाव -

1. विद्यालयों में RPWD Act 2016 के अनुरूप बाधामुक्त अवसंरचना जैसे रैंप, रेलिंग और सुगम्य प्रसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।
2. समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक सहायक उपकरण (श्रवण यंत्र, ब्रेल पुस्तकें, ICT साधन) सभी विद्यालयों में उपलब्ध कराएँ जायें।
3. शिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाये ताकि वे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को बेहतर समझ सकें।
4. बड़ी कक्षाओं को छोटे छोटे समूहों में बांटने की व्यवस्था की जाए ताकि प्रत्येक बच्चे को पर्याप्त ध्यान मिल सके।
5. विद्यालयों में अभिभावकों और समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
6. समावेशी शिक्षा हेतु सरकार द्वारा अधिक वित्तीय सहयोग एवं संसाधनों की आपूर्ति बढ़ायीं जाएँ।

शैक्षिक निहितार्थ

1. यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि विद्यालयों में RPWD Act 2016 के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएँ आंशिक रूप से ही कार्यान्वित हो पा रही है। अत: शिक्षकों के अभिमत के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्यालयों को बाधामुक्त वातावरण, सुगम्य प्रसाधन, रैंप तथा सहायक उपकरणों की ओर विशेष ध्यान देना होगा।
2. शिक्षकों ने यह माना कि संसाधनों और अधिगम सामग्री की कमी समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए नीति - निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक शिक्षण - अधिगम सामग्री और सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जायें।
3. अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि समावेशी शिक्षा का वास्तविक स्वरूप केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि शिक्षकों की सोच और प्रशिक्षण से भी प्रभावित होता है। इस दृष्टि से शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन अनिवार्य है।
4. RPWD Act 2016 की सफलता तभी संभव है जब विद्यालय स्तर पर प्रशासनिक सहयोग, वित्तीय संसाधन और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाएं - अतः यह शोध शिक्षकों के अभिमत के माध्यम से नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है।
5. समावेशी शिक्षा बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षणिक विकास में सहायक है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए विद्यालयों को शिक्षकों की राय को ध्यान में रखकर संसाधनों और रणनीतियों को सशक्त बनाना होगा।

शोध की सीमाएं

- यह अध्ययन केवल 60 राजकीय विद्यालयों के 120 शिक्षकों तक सीमित है अतः इसके निष्कर्षों को पूरे राज्य या देश के स्तर पर सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है।
- अध्ययन में केवल शिक्षकों के अभिमत को लिया गया, जबकि अभिभावकों, विद्यार्थियों और प्रशासनिक अधिकारियों के दृष्टिकोण को शामिल नहीं किया गया है।
- आंकड़ों का विश्लेषण मुख्य रूप से प्रतिशत विश्लेषण (Percentage Analysis) तक सीमित रहा, गहन सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग नहीं किया गया।
- शोध में विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का आंकलन शिक्षकों के अभिमत और आंशिक अवलोकन तक ही सीमित रहा है, वास्तविक तकनीकी मूल्याङ्कन नहीं किया गया है।

- अध्ययन का भौगोलिक क्षेत्र केवल चयनित विद्यालयों तक सीमित था, अतः विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक - आर्थिक परिवेश में भिन्नताएं संभव है।

## निष्कर्ष -

वर्तमान अध्ययन "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा में उपलब्ध सुविधाओं के प्रति शिक्षकों का अभिमत पर आधारित था। अध्ययन में 60 राजकीय विद्यालयों के 120 शिक्षकों को सम्मिलित किया गया। परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि यद्यपि समावेशी शिक्षा की अवधारणा को शिक्षक सकारात्मक दृष्टि से देखते है और इसके लाभों को स्वीकार करते है किन्तु विद्यालयों में RPWD Act 2016 के अनुरूप सुविधाओं की उपलब्धता अभी भी अपर्याप्त है।

शिक्षकों के अभिमत के अनुसार, अधिकतर विद्यालयों में केवल रैंप जैसी बुनियादी सुविधा आंशिक रूप से उपलब्ध है, जबकि रेलिंग, सुगम्य प्रसाधन, विशेष कक्ष और सहायक उपकरण बहुत कम विद्यालयों में पाए गए। संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, बड़ी कक्षाएं और विशेष अधिगम सामग्री का न मिलना समावेशी शिक्षा की प्रमुख बाधाएं है। इसके बावजूद, शिक्षकों ने माना कि समावेशी शिक्षा बच्चों के सामाजिक विकास, आत्मविश्वास, समान अवसर की भावना और शैक्षणिक प्रगति में सहायक है, उन्होंने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, शीघ्र पहचान एवं अभिभावकों की भागीदारी को समावेशी शिक्षा की सफलता हेतु आवश्यक माना है।

अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि समावेशी शिक्षा की सफलता केवल नीतियों के निर्माण से नहीं होगी बल्कि विद्यालय स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, अभिभावकों व समुदाय की भागीदारी तथा प्रशासनिक सहयोग से ही संभव हो सकेगी। RPWD Act 2016 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन पहलुओं पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।

## सन्दर्भ सूची


[1] Government of India. (2009). The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. Gazette of India. Retrieved from https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2009-35.pdf

[2] Government of India. (2016). The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016). Gazette of India (Extra-Ordinary). Retrieved from http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD/ACT/2016.pdf

[3] Gupta, R. (2019). Inclusive education: Challenges in implementation in Indian schools. International Journal of Inclusive Education, 23(7–8), 827–840. https://www.researchgate.net/publication/383567903

[4] Johnson, A. (2016). Formal, non-formal and informal learning: What are they and how can we research them? Cambridge Assessment. Retrieved from https://www.cambridgeassessment.org.uk/Images/665425-formal-non-formal-and-informal-learning-what-are-they-and-how-can-we-research-them-.pdf

[5] Khan, F. A. (2018). Editorial: Inclusive education in South Asia. Journal of Education and Research, 9(2), 5–8. https://doi.org/10.1177/0973184918784141

[6] Kumar, P. (2020). Policy and practice of inclusive education under NEP 2020. International Journal of Educational Development, 76, 102242. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102242

[7] Lindsay, G. (2022). Teachers' beliefs about inclusive education and insights on what matters. Educational Psychology Review, 34(4), 1237–1256. https://doi.org/10.1007/s10648-022-09695-0

[8] Mittal, A. K. (2019). Inclusion – A myth or a reality? Proceedings of ICEVI World Conference. Retrieved from https://icevi.org/wp-content/uploads/2018/05/Inclusion-%E2%80%93-A-myth-or-a-reality...-by-A.K-.Mittal-ICEVI-World-Conference-12-July-2006.doc

[9] National Council of Educational Research and Training (NCERT). (2018). How distant is 'inclusion'?: A study of Delhi school teachers. Indian Educational Review, 56(2), 1–12. Retrieved from https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/indianeducationalreview/IER-JULY2018.pdf

[10] Sharma, U., & Deppeler, J. (2005). Integrated education in India: Challenges and prospects.

Disability Studies Quarterly, 25(1). https://doi.org/10.18061/dsq.v25i1.524
[11] Sharma, U., & Singh, S. (2014). Inclusive education in India: Policy perspectives and practices. Journal of Education and Research, 4(2), 123–135. (Full text unavailable; citation adapted)
[12] UNESCO. (1990). World Declaration on Education for All and Framework for Action to Meet Basic Learning Needs. Jomtien, Thailand: UNESCO. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127583
[13] UNESCO. (2020). Global education monitoring report 2020: Inclusion and education – All means all. Paris: UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718
[14] United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child (UNCRC). New York: United Nations. Retrieved from https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
[15] Verma, R., & Kumari, S. (2021). Overcoming barriers to inclusion in education in India: A scoping review. International Journal of Educational Research, 109, 101800. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101800